(2)

(98)

समक्ष श्रीमान पीठासीन अधिकारी राजस्व मंडल ग्वालियर

मुन्नालाल वल्द स्व.श्री शिवदयाल जड़िया आयु 70 वर्ष अध्यक्ष सुनार समाज समिति सराफा बाजार सागर (म.प्र.)......................आवेदक /पुनरीक्षण कर्त्ता

I/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/3355

बनाम

(1) देवेन्द्र कुमार सोनी वल्द श्री विश्वनाथ सोनी सराफा बाजार सागर(म.प्र.)

(2) म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर सागर

(3) असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें पी.टी.सी. ग्राउन्ड गोपालगंज सागर

~~(4) तहसीलदार सागर~~..उत्तरदातागण

पुनरीक्षण याचिका U/S 50 म.प्र.भू.रा.सं.

दिनांक 18.9.17 को श्री एम० जड़िया द्वारा प्रस्तुत।

विवरण

न्यायालय – तहसीलदार सागर

प्रकरण कमांक – 369 अ/ 6 वर्ष 2016–17 संस्थिति दि. 27–05–2017 आगामी दि. 27–09–2017

CF-29.09.17

अंतर्गत धारा – 109/110 म.प्र. भू.रा.सं.

पक्षकार – देवेन्द्र कुमार सोनी वि. म.प्र. शासन + अन्य

प्रकरणसार

सुनार समाज समिति सराफा बाजार सागर एक पंजीकृत सोसायटी कमांक –13234 दिनांक – 01–12–1983 कार्यरत है। वर्ष 2006–2007 के खासरा अनुसार सुनार समाज समिति सराफा बाजार सागर की ब.रेगुआ सिथत खसरा न. 465 में रक्वा 1.320 हं. भूमि राजस्व लेख में दर्ज थी । उक्तसमिति का मध्यांचल ग्रामीण बैंक सागर में बजत खाता क.– 80012178124983 सें चालू है। (सह पत्र 1 से स्पष्ट हैं)

यह कि उक्त समिति की समस्त भूमि ख.नं.1.320 हे. के प्लाट वर्ष 2000 में नक्शा अनुसार आवटंन कर तत्कालिन अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों को इकरारनामा लेख कर दिये गये थे।' (सहपत्र 2 से स्पष्ट है।) एवं हस्तांतरण पत्र समस्त प्लाट धारक सदस्यों को हस्तांतरण पत्र तहरीर किये गये थे। जो समस्त प्लाट सदस्यों के भूमि स्वामी स्वत्व पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/3355 मुन्नालाल **विरूद्ध** देवेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार सागर के प्रकरण क्रमांक 369/अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 27-05-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-09-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि	

लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31.12.18
सदस्य